कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

सं.: स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-93/2016-17/

दिनांक : /04/2017

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

नगर पालिका परिषद, कोटद्वार

विषय : नगर पालिका परिषद, कोटद्वार का वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के **भाग-4 (ब)-1 में शून्य प्रस्तर एंव भाग -4(ब)-2 में 06 प्रस्तर एवं STAN शून्य प्रस्तर** हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं. स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-93/2016-17/ दिनांक : /04/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 साईं इंस्टीट्यूट के पास, राजपुर रोड़, देहरादून

2- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2016-17 के लिये नगर पालिका परिषद कोटद्धार पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत शहरी निकाय अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्रीमति रशमी राणा	-	अध्यक्ष नगर पालिका परिषद्
श्री राधेश्याम छांछर	-	अधिशासी अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

(i) श्री अर्जुन सिंह, स.ले.प.अ.
(ii) श्री पी.एल.शर्मा, स.ले.प.अ.
(iii) श्री नितिन वर्मा लेखापरीक्षक
(iv)

(स) संप्रेक्षा तिथि 20.02.2017 से 20.03.2017 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि:- 2013-14 से 2015-16 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् कोटद्धार**

(अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या : -

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः

भौगोलिक क्षेत्र : 2.59 वर्ग कि.मी.

जनसंख्या : 30107

2. निर्वाचित सदस्यों की संख्या 11
3. (अ) न0प0प0 द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 36

(ब) उपसमितियों,स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:-

4. बैठक : 3
5. कर्मचारियों की संख्या : 78
6. पंचायतराज की सम्पतियां : -As per list enclosed
7. पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : - 3
8. योजनाओं की संख्या :-
9. (अ) सामाजिक संरक्षा: -

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें: -

(द) लाभार्थियों की संख्या:

10. वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि : सलंग्न विवरण अनुसार
11. वर्ष के दौरान कुल व्यय :-

(अ) सामान्यः - भाग 3 के अनुसार

(ब) योजनाओं पर

12. क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गयाः-

भाग-4 (अ)

(**क**) परिचयात्मकः- कार्यालय **अधि. अधिकारी नगर पालिका परिषद -कोटद्धार पौडी गढ़वाल,** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री पी.एल. शर्मा स.ले.प.अ. एंव श्री अर्जुन सिंह स.ले.प.अ. तथा श्री नितिन वर्मा ले.प. द्वारा दिनांक 20.02.2017 से 02.03.2017 तक सम्पादित कि गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः- शून्य

यह इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 प्रस्तर भाग-4 (ब)-2 (अ) प्रस्तर भाग-2 (ब)-2

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर शून्य

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची

(घ) अप्रस्तुत अभिलेखः- कार्य पंजिका, अनुदान पंजिका, अग्रिम पंजिका, निक्षेप पंजिका

भाग 4 (ब)-II

प्रस्तर 1:- रुपये 41.06 लाख व्यय करने के पश्चात भी नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एंव हथालन) नियम 2000 का पालन न करना।

नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 2000 के अनुसार प्रत्येक नगर निगम, नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत प्राधिकरण नगरीय ठोस अपशिष्ट के निपटान हेतु उसका संग्रहण, पृथक्करण एंव निपटान (Collection storage, segregation, transportation, process sing & disposal) के लिए उत्तरदायी होगा। उक्त कार्य नगर पालिका द्वारा स्वयं या किसी अन्य एजेन्सी के माध्यम से भी करा सकती है। उक्त नियमों के अनुसार नगर पालिका को राज्य प्रदूषण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र एवं पर्यावरण से सम्बन्धित प्राधिकार पत्र प्राप्त करना होगा। नगरीय ठोस अपशिष्ट के जैव अपघटनीय और गैर जैव अपघटनीय का सुरक्षित संग्रहण एवं पृथक्करण करना होगा। अपशिष्टो का भण्डारण खुले वातावरण मे न हो तथा भण्डारण सुविधाओ हेतु बिन्स का उपयोग हो। परिवहन हेतु बन्द वाहनों का उपयोग हो ताकि कूडा सडको पर न फैले तथा उसका दुष्प्रभाव स्थानीय जनता के स्वास्थ्य न पडे। कूडा निस्तारण हेतु पिट्स का उपयोग होगा जो कि आबादी से दूर स्थित होगें। कूडा खुले मे न जलाया जाए जिससे वायु प्रदूषण बडे तथा न ही नदी तलो या वनो में इधर उधर फैंका जाए।

नगर पालिका परिषद कोटद्वार मे ठोस अपशिष्ट से सम्बन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि विभाग द्वारा उक्त नियमों का पूर्ण रुप से पालन नही किया जा रहा था। जबकि उक्त कार्यों पर रुपये 41.20 लाख व्यय किए गए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि पिट्स का निर्माण शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। बंद वाहन के स्थान पर खुले वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। प्राधिकार पत्र एंव पुनचक्रण की कार्यवाही गतिमान हैं।

उत्तर सन्तोषजनक नही हैं क्योकि भारत सरकार एंव राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को उक्त नियमो का पालन करने हेतु धनराशि एवं दिशा निर्देश समय समय पर जारी किए जाते हैं। परन्तु आदेशों के पश्चात भी लम्बी अवधि तक नियमों एवं दिशा निर्देशो का पालन न करना

विभाग की कार्य एवं नियमों के पालन के प्रति शिथिलता दर्शाता है। जिसके कारण वातावरण एवं स्थानीय जनता की हानि हो रही है।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

प्रस्तरः-2 रुपये 20.18 लाख का अपूर्ण कार्य ।

नगर पालिका को प्राप्त अनुदानो से सम्बन्धित अभिलेखो की जांच में पाया गया कि नगर पालिका को वर्ष 2013-14 में रुपये 28.20 लाख की धनराशि एश्यिन डेवलपमेन्ट बैंक से प्राप्त हुई थी जिसके अन्तर्गत 40 कम्पोस्ट पिटो का निर्माण किया जाना था। निर्माण कार्य

"झूलाबस्ती स्थित ट्रेचिंग ग्राउण्ड मे 40 कम्पोस्ट पिटों का निर्माण" प्रारम्भ करने हेतु दिनांक 5/06/15 को निविदाए आमंत्रित की गई थी। कार्य की अनुमानित लागत रुपये 20.23 लाख----------2098) लाख का अनुबन्ध कर कार्य आवंटित किया गया। कार्य पूर्ण करने की अवधि तीन माह थी। ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ कर तीन चलित देयक प्रस्तुत किए गए थे जिसके सापेक्ष आवश्यक कटौतियो के उपरान्त दिनांक 24/08/16 को अन्तिम देयक के पश्चात रुपये 16.79 लाख का भुगतान किया गया था। तत्पश्चात ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का समायोजन अथवा कार्यपूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नही किए गए थे। जिसके कारण कार्य मार्च 2017 तक अपूर्ण था। विभाग द्वारा ठेकेदार के विरुद्द अनुबंध के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। जबकि कार्य ठोस अपशिष्ठ से सम्बन्धित होने के कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रकृति का था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि कार्य गतिमान है तथा कार्य में निविदा के कारण विलम्ब हो गया है। तथा कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। जिसके हेतु सम्बन्धित ठेकेदार को सूचित किया गया है।

उत्तर सन्तोषजनक नही है क्योंकि महत्वपूर्ण कार्यो मे अधिक विलम्ब होने के कारण स्वीकृत धनराशि का सामयिक सदुपयोग तथा योजना के उद्देश्यो स्थानीय जनता को मिलने वाले लाभ तथा शासनादेशो का पालन नही हो पा रहा है।
प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग 4(ब)-II

प्रस्तरः-3 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रावधानो का पालन न करना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 61(2) के अनुसार रुपये 10.00 लाख से अधइक के कार्यो/सेवाओ हेतु सम्बन्धित विभाग/सक्षम अधिकारी द्वारा कम से कम एक व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्र मे विज्ञापन एवं संगठन की वेबसाईट के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित करने की निर्धारित तिथि, समय आदि तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निविदा सूचना निर्गत की जाए।

नगर पालिका की निर्माण कार्यो से सम्बन्धित पत्रावली एवं अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि "माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत कोटद्दार नगर क्षेत्रान्तर्गत सभी पार्को का पुनर्निमाण एवं सौन्दर्यकरण हेतु रुपये 25.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई थी। जिसके सापेक्ष पालिका द्वारा अल्पकालीन निविदा सूचना द्वारा दिनांक 15.03.2016 पत्रांक 001/88(3) पा.सौ (587/2015)/2015-16 के माध्यम से सम्पादक/संवाददाता स्थानीय पत्र समाचार दैनिक जयन्त में दिनांक 17 मार्च 2016 मे प्रकाशित की गई थी। जो कि उक्त नियमावली में दिए गए नियमों का उल्लंघन था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि भविष्य मे नियमावली का पालन किया जाएगा।

उत्तर सन्तोषजनक नही है क्योंकि प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा निर्गत नियमावली एवं दिशानिर्देशो का पालन करना अनिवार्य है जिससे कार्यो के सन्दर्भ मे पारदर्शित बनी रहे।

प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 4(ब)-II

प्रस्तरः-4 दुकान किराया एवं भवन कर के रुप मे लम्बित वसूली रुपये 9.18 लाख

नगर पालिका परिषद कोटद्वार मे भवन कर एवं दुकान किराया से प्राप्त अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि वर्ष 2015-16 के अन्त तक विभाग के पास भवन कर के रुप मे रुपये 788467/- तथा दुकान किराए के रुप मे रुपये 129339/- की धनराशि विभिन्न बकाये दारो से वसूली हेतु लम्बित थी। जबकि उक्त कर पालिका की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर मे बताया कि सम्बन्धित बकायादारो को नोटिस जारी किया जाएगा।

उत्तर सन्तोषजनक नही है क्योंकि कर की समयबद्द वसूली न करना विभागीय शिथिलता दर्शाता है तथा करो के जमा न करने की दशा मे बकायादारो से अर्थदण्ड वसूली एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही न करने के कारण भी वसूली समय से नही हो पा रही थी। जबकि पालिका द्वारा उक्त बकायादारो के विरुद्द सामयिक कार्यवाही कर वसूली की प्रक्रिया तत्परता से की जानी चाहिए थी।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग 4(ब)-II

प्रस्तरः-5 रुपये 9.55 लाख का अनियमित व्यय।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 29 व 30(I), अध्याय-3 के अनुसार किसी नये कार्य के प्रारम्भ करने से पूर्व निम्नलिखित सिद्दान्तो का पालन किया जाएः-

(1) सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त हो गया हो।
(2) बजट की उपलब्धता एवं सक्षम प्राधिकारी से व्यय करने की संस्वीकृति उपलब्ध हो।तथा कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो।

नगर पालिका द्वारा वर्ष 2013-14 व 2014-15 मे कराए गए निर्माण कार्यो से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि पालिका निधि से कराए गए 4 (विवरण संलग्न) निर्माण कार्यो मे स्वीकृत/धनराशि अनुबन्ध राशि से अधिक धनराशि व्यय की गई थी जिसके सापेक्ष न तो प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति ली गई थी तथा न ही व्यय करने हेतु वित्तिय स्वीकृति ली गई थी। जिसके कारण उक्त कार्यों पर रुपये 9.55 लाख का अनियमित व्यय किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर मे बताया कि भविष्य में निर्माण कार्यो से सम्बन्धित अधिक व्यय होने पर आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि नियमावली 2008 के प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही न करना तथा शासकीय आदेशो का पालन न करना विभाग द्वारा आदेशो के पालन के प्रति लापरवाही प्रदर्शित करता है जिससे विभाग द्वारा आर्थिक हानि के रुप मे रुपये 9.55 लाख का अनियमित व्यय किया गया है।

प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

नगर पालिका परिषद द्वारा कराए गए निर्माण कार्यो मे स्वीकृत /अनुबंध राशि एवं व्यय की गई धनराशि मे भिन्नता का विवरणः-

क्रं. सं.	कार्य का नाम	अनुबंध की राशि	व्यय की राशि	अन्तर	वर्ष	अनुबन्ध की तिथि	अन्तर प्रतिशत
1.	सिद्दबली मार्ग मे विनोद के मकान से हेरिटेज स्कूल तक के. सी. टाईप ड्रैन एवं सी.सी. मार्ग निर्माण कार्य	5.17 लाख	6.26 लाख	1.09 लाख	2013-14	23.08.2013	21%
2.	वार्ड नं. 11 मे जमा कुकरेती के घर से दिनेश के घर तक सी.सी. मार्ग निर्माण	2.06 लाख	2.59 लाख	0.53 लाख	2014-15	25.08.2014	21%
3.	वार्ड नं. 1 मे खत्री के मकान से नूतन जोशी के मकान तक सी.सी. मार्ग का निर्माण	1.06 लाख	1.27 लाख	0.21 लाख	2014-15	26.07.2014	20%
4.	बद्रीनाथ मार्ग पर पोस्ट ऑफिस के समीप प्रस्तावित आडिटोरियम के भू-तल पर दुकानों का निर्माण कार्य	14.84 लाख	22.56 लाख	7.72 लाख	2014-15	13.08.2013	52%
				9.55 लाख			

भाग 4(ब)-II

प्रस्तरः-6- रुपये 6.78 लाख की धनराशि का अवरुद्द रहना।

नगर पालिका परिषद् की अवस्थापना निधि से सम्बन्धित पत्रावली एवं अभिलेखों की जाँच मे पाया गया कि विभाग को वर्ष 2014-15 (24 मार्च 2015 को) में तीन कार्यों हेतु रुपये 29.87 लाख की धनराशि प्राप्त स्वीकृत हुई थी जिसमे से दो कार्य पूर्ण हो चुके थे जबकि एक कार्य लकडी पड़ाव पनियाली तल्ली मे नरेश अग्रवाल के मकान से शिव सिंह रावत के मकान तक नाला निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु निविदाए आमंत्रित की गई थी। जिसके सापेक्ष दिनांक 21.04.2015 को कार्य प्रारम्भ किया गया था। कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात कार्य स्थल पर विवाद के कारण कार्य बन्द हो गया था। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत देयक के आधार पर रुपये 33883/- का भुगतान पालिका निधि से किया गया था। कार्य बन्द होने के कारण रुपये 6.78 लाख की धनराशि विभाग के पास दो वर्षो से अधिक तक अवरुद्द पडी थी। जो कि न तो शासन को वापस प्रेषित की गई थी ओर न ही किसी प्रकार का समायोजन निरीक्षण नहीं किया गया था। कार्य प्रारम्भ ------ किया गया था। जिसके कारण कार्य बन्द करना पडा था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि शीघ्र अवशेष धनराशि शासन को प्रेषित करने की कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि कार्य प्रारम्भ कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यस्थल का निरीक्षण न करना तथा दो वर्षो तक धनराशि को अवरुद्ध रखना शासकीय आदेशो का उल्लंघन है। शासन के पत्र सं. 1666/IV (2)रा.वि. 2015-112 (सा)14-शहरी विकास अनुभाग 2 दिनांक 28 दिसम्बर 2015 मे निर्देशित किया गया था कि मार्च 2016 तक धनराशि का उपयोग कर लिया जाए तथा उसके उपरान्त समस्त अवशेष धनराशि शासन को समर्पित की जानी थी।

अतः रुपये 6.78 लाख की अवरुद्ध धनराशि का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।